

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट (म.प्र.)

—: विविध आदेश :-

क्रमांक— 42 / एक-11-1 / 2009

बालाघाट, दिनांक 25 मार्च, 2026

मैं, प्राणेश कुमार प्राण, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक-21/एक-11-1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 में निम्नानुसार संशोधन के आदेश देता हूँ, जो पीठासीन अधिकारी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्रभावशील होगा:-

- 01) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक- 21/एक-11-1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के सरल क्रमांक 5 के पश्चात 5अ निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

5 अ	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	1. प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट द्वारा समय-समय पर अंतरित किये गये प्रकरणों का निराकरण।
-----	--	--

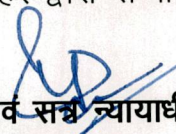
- 02) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक- 21/एक-11-1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के अत्यावश्यक सुनवाई को लेकर कार्य-व्यवस्था (अवकाश/अनुपस्थिति पर प्रभार) के क्रमांक 6 एवं 7 को पूर्णतः विलोपित किया जाता है तथा पुनः क्रमांक 6, 6अ एवं क्रमांक 7 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

(अवकाश/अनुपस्थिति पर प्रभार)

क	1	2	3	4
6	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अति.न्यायाधीश	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज), बालाघाट
6अ	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज), बालाघाट
7	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश	प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, वारासिवनी	विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज), बालाघाट

- 03) कार्यालय कार्य विभाजन पत्रक क्रमांक- 21/एक-11-1/09 दिनांक 05 फरवरी, 2026 के टीप के क्रमांक 5 पूर्णतः विलोपित किया जाता है तथा पुनः क्रमांक 5 निम्नानुसार स्थापित किया जाता है :-

5. तहसील मुख्यालय वारासिवनी के अपर सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर उनके न्यायालयों का अत्यावश्यक कार्य जिला मुख्यालय बालाघाट में उपस्थित विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज) व उनकी अनुपस्थिति में उसी क्रम में वरिष्ठ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा सम्पादित किया जावेगा तथा उक्त सभी अपर सत्र न्यायाधीशगण के अवकाश पर रहने अथवा अन्यथा उपस्थित ना रहने पर अपर सत्र न्यायाधीश बैहर द्वारा सम्पादित किया जावेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट

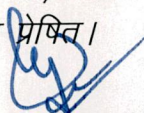
पृष्ठांकन क्रमांक 485/एक-11-1/2009.

बालाघाट, दिनांक 25 मार्च, 2026

प्रतिलिपि :-

01. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
02. रजिस्ट्रार (जिला स्थापना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
03. कलेक्टर, बालाघाट,
04. पुलिस अधीक्षक, बालाघाट
05. विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटिज), बालाघाट
06. प्रथम/द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट/वारासिवनी
07. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, बैहर
08. प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश वारासिवनी के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश वारासिवनी
09. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बालाघाट/वारासिवनी
10. प्रथम/द्वितीय/तृतीय/अष्टम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बालाघाट,
11. प्रथम/द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, वारासिवनी
12. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खंड, बैहर
13. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, बैहर/कटंगी/लांजी
14. प्रशासनिक अधिकारी/उप प्रशासनिक अधिकारी, बालाघाट,
15. स्टेनो, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट,
16. प्रस्तुतकार, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालाघाट,
17. कार्यालय मोहररि, व्यवहार न्यायालय, बालाघाट,
18. कम्प्यूटर अनुभाग, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी
19. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ, बालाघाट/वारासिवनी/बैहर/कटंगी/लांजी

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बालाघाट